05/10/2021

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

प्रार्थी/विपक्षी/वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील प्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र की
आदेशिका के Not Press किया तथा निवेदन
किया कि वह प्रार्थना पत्र 039 R 22 वधारा/SICAL
को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। वकील प्रार्थी के द्वारा
आदेशिका के Not Press करने से प्रार्थना पत्र
को चलाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना
पत्र Not Pres होने से खारिज किया जाता है।
प्रार्थी दावी लगाने का होगा फैसलकुमार
होकर सम्पादित कराया।

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्र.प्र.

Not Press
05/10/2021
प्रार्थी एडवो
रघु की लिए खारिज

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.02.10 15:01:31 IST
Reason: SelfAttested